दिल्ली और केन्द्र सरकार के बीच अधिकारों की जंग: सवाल जवाबदेही का



90

23

। विवेक वार्ष्णय





दिल्ली और केन्द्र सरकार के बीच अधिकारों की जंग: सवाल जवाबदेही का

। विवेक वार्ष्णय

सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले को दस दिन भी नहीं बीते थे कि केन्द्र सरकार ने अध्यादेश के जिरए संविधान पीठ के सर्वसम्मित से दिए गए निर्णय को निष्क्रिय कर दिया। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण को लेकर तकरीबन नौ साल से चली आ रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पांच साल के दौरान दो अलग-अगल निर्णय भी केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान का हल नहीं निकाल सके हैं। नए अध्यादेश के बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ है।

4 | सोशल पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन

संविधान पीठ का निर्णय और अध्यादेश

संविधान पीठ के निर्णय में कहा गया है कि केन्द्र सरकार नया कानून लाकर उपराज्यपाल को अधिकार सौंप सकती है जो अभी तक उसके पास नहीं है। उपराज्यपाल के प्रशासनिक अधिकारों में बदलाव भी संसद द्वारा पारित कानून के जिए किया जा सकता है। राष्ट्र्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 की धारा 49 के तहत उपराज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही केन्द्र सरकार ने बिना देरी के अध्यादेश जारी कर दिया और आईएएस तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के माध्यम से अपने पास रख लिया।

सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन

अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली में सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगें। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव(गृह) सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। सिविल सेवा प्राधिकरण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के स्थानांतरण तथा उनकी पोस्टिंग तय करेगा। बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर उपराज्यपाल को भेज दिए जाएंगें। इसका मतलब साफ है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग में मुख्यमंत्री की प्रधानता नहीं रहेगी। मुख्य सचिव और गृह सचिव का सामूहिक निर्णय मुख्यमंत्री के फैसले को निष्प्रभावी कर सकता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में भी दोनों नौकरशाह फैसला ले सकते हैं। सरकारी अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार भी इस प्राधिकरण के पास रहेगा। बहुमत की सिफारिशों को उपराज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा जो उसे लागू करेंगे। निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री को अल्पमत में लाकर उसकी सिफारिशों को दरिकनार करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहां तक जायज है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर मंथन करना पड़ेगा।

जवाबदेही किसकी

संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का क्या अर्थ है, यदि उसके पास नौकरशाही को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। संविधान पीठ ने 2018 में दिए गए फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद का सलाह पर काम करेंगे। 11 मई के निर्णय में भी इस तथ्य को दोहराया गया है। चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिए निर्णय में कहा कि सरकारी अफसर मंत्रियों के प्रति जवाबदेह हैं। मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं और संसद या विधान सभा मतदाता के प्रति। सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि बिना जवाबदेही वाले सरकारी अधिकारी लोकतांत्रिक प्रशासन में बाधक बन सकते हैं। सरकार की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर होती है। यदि उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जाता तो यह मतदाताओं की आकांक्षाओं की अनदेखी होगी। संघीय ढांचे में प्रशासन निर्वाचित सरकार के नियंत्रण में रहता है।

क्या है समाधन

केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही जंग का समाधान निकालने के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है। लगभग सभी राजनीतिक दल एक समय दिल्ली को पूर्ण राज्य का दुर्जा देने की वकालत कर रहे थे। लेकिन पूर्ण राज्य का दुर्जा तो दूर अब केन्द्र शासित दिल्ली सरकार अपने बुनियादी अधिकारों के लिए बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। नई दिल्ली के जिस इलाके में केन्द्र सरकार के दुफ्तर हैं-राष्ट्रपति भवन, संसद्, प्रधानमंत्री आवास तथा विदेशी दुतावास का इलाका जिसे लुटयन जोन या एनडीएमसी क्षेत्र भी कहा जाता है, केन्द्र सरकार के अधीन कर दिया जाए। दिल्ली का दायरा बढ़ाकर इसमें एनसीआर के अन्य शहरों को शामिल किया जाए और उसे पूर्ण राज्य का दुर्जा प्रदान किया जाए। दिल्ली से सटे हुए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद को दिल्ली राज्य में शामिल किया जाए। वैसे भी, दिल्ली के निकटवर्ती शहरों का विस्तार देश की राजधानी के कारण ही हुआ है। इन शहरों में रहने वाले अधिसंख्य लोग किसी न किसी रूप में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके लिए भी केन्द्र सरकार को ही प्रयास करने होंगे। उत्तर-प्रदेश और हरियाणा की सरकारें अपने-अपने शहरों को दिल्ली में विलीन करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगी क्योंकि यह शहर राज्यों को अधिकतम राजस्व प्रदान करते हैं। लेकिन इस तरह का विकल्प यहां रहने वाले बाशिंदों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा।

6 | सोशल पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन इ्शू ब्रीफ

REFERENCES

- 1-TM Kanniyan V CIT(1968)2SCR 103
- 2-Article 239AA of Constitution of India
- 3-NDMC V State of Punjab(1997)(7)SCC 339
- 4-SR Bommai V Union of India(1994)3 SCC 1
- 5-Capital brazenness by Pratap Bhanu Mehta, The Indian Express, May 22, 2023
- 6-Hijacking Delhi-The Indian Express, May 22, 2023
- 7-Union of India V Tulsiram Patel(1985)3SCC 398
- 8-Dr DD Basu, Commentary on the Constitution of India, 9th edition, Vol.13, Page 13991
- 9-Krishna Kumar Singh V State of Bihar(2017) 3 SCC 1
- 10- Amrinder Singh V Punjab Vidhan Sabha(2010) 6SCC 113, 2018 Constitution Bench Judgment
- 11-Three Problems with the Delhi ordinance by PDT Achary, The Hindustan Times, 24th May, 2023
- 12-With great power, respect by Shailaja Chandra, The Indian Express, May 12, 2023 13-Power where it's Due, The Indian Express, May 12, 2023
- 14-RS Nayak V AR Antulay(1984) 2SCC 183
- 15-State of West Bengal V Subodh Gopal Bose AIR 1954 SC 92
- 16-Bhaiji V Sub-Divisional officer Thandla(2003)1SCC 692
- 17-State of Bihar V Maharajadhiraja Sir Kameshwar Singh(1952)SCR 889
- 18- Balakrishna Committee Report-Statement of objects and reasons
- 19-Adam Przeworski, Susan C Stokes, Bernard Mamin, Democracy, Accountability and representation(Cambridge University Press 2012 at page 298
- 20- Government of national Capital Territory of Delhi V Union of India, Constitution Bench(2018) 8SCC 501
- 21-Herman Finer, The Theory and practice of Modern Governance(New York: The Dial Press, 1932) at page 1163

- 22-The Two Delhi Solution by Arghya Sengupta, The Times of India, May 22, 2023
- 23-Capital Conundrum, The Times of India, May 22, 2023
- 24-Explained:Two SC Verdicts by Alok Prasanna Kumar, The Times of India, May 13, 2023
- 25-One Nation, many governments by Faizan Mustafa, The Indian Express, May 13, 2023



